प्रश्न–उत्तर

प्रश्नः– 1. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?

उत्तरः– **14 सितंबर**

प्रश्नः– 2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कौन–कौन से कागजात आते है?

उत्तरः– **सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक या अन्य रिकॉर्ड, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के समक्ष प्रस्तुत कागजात अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र।**

प्रश्नः– 3. नियमानुसार प्रशिक्षण सामग्री किन भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए?

उत्तरः– **द्विभाषी अर्थात हिंदी–अंग्रेजी में।**

प्रश्नः–4. किन कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम 4 के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करवाया जाता है?

उत्तरः– **कार्यालय के 80 प्रतिशत या इससे अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों (वर्ग घ को छोड़कर) को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर।**

प्रश्नः–5. किन कार्यालयों/कर्मियों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 के उपनियम 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाता है?

उत्तरः– **राजपत्र में अधिसूचित कार्यालय को और हिदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मियों को नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करते हुए कार्यालय का शतप्रतिशत /अधिकांश कार्य हिंदी में करने के आदेश दिए जाते हैं।**

प्रश्नः– 6. कार्यालयों के नामपट्ट, सूचनापट्ट आदि कौन–सी भाषाओं में बनवाए जाएं?

उत्तरः– **नामपट्ट एवं सूचनापट्ट द्विभाषी/त्रिभाषी अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में तैयार किए जाने चाहिए।**

प्रश्नः–7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कितने कोड मैनुअल प्रयोग में लाए जाते है और नियमानुसार वे कौन सी भाषाओं में उपलब्ध होने चाहिए?

उत्तरः– **संगठन में दो कोड अर्थात एजुकेशन कोड एवं एकाउन्टस कोड प्रयोग में लाए जाते है और वे डिग्लॉट अर्थात हिंदी–अंग्रेजी में उपलब्ध होने चाहिए।**

प्रश्नः– 8. हिंदी की तिमाही रिपोर्ट कितने दिन के भीतर कार्यालयों में प्राप्त हो जानी चाहिए?

उत्तरः– **क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट संगठन (मु0) में 15 दिन के भीतर और केन्द्रीय विद्यालयों से क्षेत्रीय कार्यालय में 10 दिन के भीतर तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) से राजभाषा विभाग में एक महीने के भीतर भिजवा दी जानी चाहिए**

प्रश्नः–9. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितने समय के अन्तराल पर आयोजित की जानी चाहिए?

उत्तरः– **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी चाहिए।**

प्रश्नः–10. नियमानुसार कार्यालय के प्रकाशन किन भाषाओं में प्रकाशित/मुद्रित करवाए जाने चाहिए?

उत्तरः– **सभी प्रकार के प्रकाशन द्विभाषी (हिंदी–अंग्रेजी) रूप में मुद्रित करवाए जाने चाहिए।**

प्रश्नः–11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितने समय के अंतराल में आयोजित की जाती है?

उत्तरः– **प्रत्येक छमाही में।**

प्रश्नः–12. 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है?

उत्तरः– **'क' क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत,'ख' क्षेत्र के लिए 90 प्रतिशत तथा 'ग'क्षेत्र के लिए 55 प्रतिशत**

प्रश्नः–13. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के हिसाब से भारत को कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है ?

उत्तरः– **कार्यान्वयन के हिसाब से भारत को तीन क्षेत्रों में बॉटा गया है।**

प्रश्नः–14. क, ख और ग क्षेत्र में कौन–कौन से राज्य आते हैं?

उत्तरः– **'क' क्षेत्र में: अंडमान निकोबार, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं उतरांचल प्रदेश**
'ख' क्षेत्र में: चंडीगढ़ गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब
'ग' क्षेत्र में: क और ख क्षेत्रों के राज्यों को छोड़कर समस्त राज्य एवं संधशासित प्रदेश

प्रश्नः–15. 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के लिए हिंदी में टिप्पण का कितना प्रतिशत निर्धारित है ?

उत्तरः– **क्रमशः 75%, 50% और 30% ।**

प्रश्नः–16. हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि) के लिए क्या प्रतिशत निर्धारित है ?

उत्तरः– **शत प्रतिशत**

प्रश्नः–17. पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों पर कुल अंशदान में से कितने प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए ?

उत्तरः– **कम से कम 50%**

प्रश्नः–18. नियमानुसार कंप्यूटर/इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी खरीद का क, ख एवं ग क्षेत्र के लिए क्या प्रतिशत निर्धारित है ?

उत्तरः– **सभी क्षेत्रों के लिए शत प्रतिशत द्विभाषी ।**

प्रश्नः–19. कार्यालयों द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/विद्यालयों का प्रतिवर्ष निरीक्षण का कम से कम क्या प्रतिशत है ?

उत्तरः– **25%**

प्रश्नः–20. नियमानुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए?

उत्तरः– **कार्यालयाध्यक्ष को।**

प्रश्नः–21. संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं ?

उत्तरः– **कुल 30 सदस्य 20 लोक सभा के और 10 राज्यसभा के**

प्रश्नः–22. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की क्या परिभाषा है ?

उत्तरः– किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसनेः–

मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है या

केन्द्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदो के सम्बन्ध में निर्धारित कोई निम्नस्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है या

केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या

यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

प्रश्नः–23. हिंदी में प्रवीणता किसे कहते है ?

उत्तरः– किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है यदि उसनेः–

मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाकर उत्तीर्ण की है या

स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था या

यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

प्रश्नः–24 . केन्द्रीय विद्यालय संगठन का निरीक्षण संसदीय राजभाषा की कौन सी उपसमिति द्वारा किया जाता है?

उत्तरः– **संसदीय राजभाषा की पहली उपसमिति द्वारा**

प्रश्नः–25. हिंदी टंकण/आशुलिपि के लिए कितना प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है?

उत्तरः– **अंग्रेजी के साथ–साथ निर्धारित मात्रा में हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए क्रमशः 80/– रू0 और 120/– रू0 प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है।**

प्रश्नः–26. कितने पत्र/प्रारूप इत्यादि हिंदी में टंकित करने पर प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है ?

उत्तरः– **प्रतिदिन औसतन 5 पत्र/प्रारूप या प्रत्येक तिमाही में औसतन 300 पत्र/प्रारूप हिंदी में टंकित करने पर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाता है।**

प्रश्नः–27. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर किन भाषाओं में दिए जा सकते है ?

उत्तरः– **अनिवार्यतः हिंदी में।**